भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-482
दिनांक 6 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

कार्बन क्रेडिट नीति

482. डॉ गणपथी राजकुमार पी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कोई कार्बन क्रेडिट नीति है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ग) देश में कार्बन उत्सर्जन नहीं करने हेतु योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत 28 जून 2023 को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) अधिसूचित की है।

सीसीटीएस में दो तंत्र हैं, नामत: अनुपालन तंत्र और ऑफसेट तंत्र। अनुपालन तंत्र में, बाध्य संस्थाओं को सरकार द्वारा अधिसूचित लक्ष्यों के अनुसार ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन सघनता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। ऑफसेट तंत्र में, गैर-बाध्य संस्थाएं कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र को जारी करवाने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी या हटाने या परिहार के लिए अपनी परियोजनाओं को पंजीकृत कर सकती हैं।

(ग) : सरकार सीसीटीएस के निर्देशन के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं करती है। स्कीम के खर्चों को सीसीटीएस और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अपने संसाधनों के अंतर्गत संस्थाओं से एकत्र किए गए शुल्क और प्रभारों द्वारा कवर किया जाएगा।

****